

अज अदालत जिला कलक्टर

मुकाम

नागौर

अपीलांत

वनाम

रेस्पोडेण्ट

शिवराज पुत्र श्री डालूराम जाति जाट
निवासी भादवों की ढाणी तहसील
खीवसर जिला नागौरराजस्थान सरकार जरिये जिला
रसद अधिकारी नागौर

किस्म मुकदमा रसद अपील

संख्या 103 वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
05.06.20	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अधीन जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश क्रमांक-रसद/अभि./2020/656-660 दिनांक 30.04.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील ताबेउज मियाद दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन तलब हो तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.6.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">K जिला कलक्टर, नागौर</p>	<p>शिवराज</p> <p>भै' अब इस प्रकार के आगे चलाना नहीं यक्षा</p> <p>शिवराज</p>
29/6/2020	<p>अपीलान्त शिवराज उपस्थित। रेस्पोडेण्ट का सम्मन बाद तामील शा0मि0 है। जिला रसद अधिकारी नागौर ने अपने रसद/अभि./2020/1193 दिनांक 29.06.2020 से, उनके द्वारा जारी आदेश क्रमांक-रसद/अभि./2020/656-660 दिनांक 30.04.2020 से संबंधित विभागीय प्रकरण संख्या 56/2020 राज0 सरकार बनाम शिवराज में उनके द्वारा आदेश दिनांक 18.06.2020 से विभागीय प्रकरण निर्णित कर दिया जाना अवगत कराते हुए अब विषयक अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील खारिज करने का निवेदन किया है। जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा उक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 के साथ आदेश/निर्णय दिनांक 18.06.2020 की प्रमाणित प्रति भी भिजवाई है, जो शा0मि0 हो। अपीलान्त ने कथन किया कि वह अब इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा जिला रसद अधिकारी नागौर के उपरोक्तानुसार आदेश दिनांक 30.04.2020 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है एवं उक्त आदेश से संबंधित विभागीय प्रकरण संख्या 56/2020 राज0 सरकार बनाम शिवराज में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 18.06.2020 को निर्णय/आदेश पारित कर दिये जाने से अब इस अपील का कोई औचित्य नहीं रहा है। अपीलान्त ने भी अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत इस अपील का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">K (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर</p>	

